



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर हत्या के अभियोग में 04 अभियुक्तों को आजीवन कारावास व 104,000 रुपये के अर्थदंड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना मौदहा में पंजीकृत मु0अ0सं0- 196/2023 धारा- 302,323,504,506,308/34 भा0द0सं0 में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण 1.रामकृपाल पुत्र स्वामी नाथ यादव 2.रामकरन पुत्र रामकृपाल 3.बृजेश पुत्र रामकृपाल 4.हेमराज पुत्र रामकृपाल निवासीगण ग्राम परछछ का डेरा थाना मौदहा उपरोक्त को धारा- 302,323,308/34 भा0द0सं0 में दोष सिद्ध करते हुए प्रत्येक को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 26,000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया गया।



अभियोजक-
एडीजीसी चन्द्रप्रकाश
गोस्वामी



विवेचक-
निरीक्षक सुरेश
कुमार सैनी



पैरोकार- थाना मौदहा
का0 शुभम